# न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

**रसद प्रा. पत्र सं. 05/2026**

**सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र–16/2026 तथा 17/2026 व 20/2026**

राजस्थान सरकार जरिये, श्री नीरज कुमार जैन, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय),अजमेर।

............**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री लखमीर सिंह पुत्र श्री हरी सिंह जाति रामदासिये (सीख) निवासी बेरपुरा थाना सहजादपुर जिला अंबाला हरियाणा
2. श्री मोहित पुत्र श्री मुकेश जाति तेली निवासी परानेडा, थाना केकडी सदर तहसील केकडी जिला अजमेर
3. श्री दीपक पुत्र श्री सांवरलाल जाति जाट निवासी सापली थाना केकडी सदर जिला अजमेर
4. श्री दीपचन्द पुत्र श्री श्रवण राम जाति जाट निवासी मंगरा पुलिस थाना गांधीनगर

...........**अप्रार्थीगण**

**उपस्थित :–**

श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार

श्री खिया सिंह रावत अभिभाषक अप्रार्थीगण 1 से 4,

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम**

**आदेश**

दिनांक–20.05.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 24.1.2026 को थानाधिकारी पुलिस थाना गांधीनगर, जिला अजमेर द्वारा अवैध पैट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण के सबंध में सूचना मिलने पर श्रीमती मोनिका जाखड, जिला रसद अधिकारी अजमेर बहमराह प्रवर्तन अधिकारी मीना कुमारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक अतुल कुमार बडाया, प्रवर्तन निरीक्षक मुकेश कुमार बुगालिया पार्किंग टाईप बाडा परिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 08, वर्तमान नंबर 48, होटल परासिया इन के पीछे, लक्ष्मीनगर, तहसील किशनगढ जिला अजमेर पर पहुँचे । मौके पर थानाधिकारी पुलिस थाना, गांधीनगर जिला अजमेर श्री संजय शर्मा एस.एच.ओ उपस्थित मिले जिन्होने जरिये तहरीर प्रस्तुत कर बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 08 वर्तमान नंबर 48 के पास स्थित होटल परासिया इन किशनगढ के पीछे, लक्ष्मीनगर वन परासिया थाना गांधीनगर नाम की कॉलोनी में एक पार्किंग टाईप बाडा जो श्री दीपचंद पुत्र श्रवण राम जाति जाट निवासी मंगरा के पार्किंग बाडा में अवैध पैट्रोलियम पदार्थ वाहन संख्या (1) ट्रक ट्रेलर नम्बर GJ-39 T-5215 (2) एक ट्रेलर कंटेनर नंबर RJ-37-GA-0977 चेचिस नं0 MAT44720993J1007 जिसमें चार प्लास्टिक की टंकिया रखी हुई (तीन टंकी बडी साईज व एक टंकी छोटी साईज जिसमें एक टंकी में करीब पच्चीस सौ से तीन हजार लीटर पैट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया) (3) एक बिना नम्बरी ट्रेलर कन्टेनर चेचिस नम्बर MB1UPKHD6KPFJ6367 व इंजन नंबर KFPZ117406 जिसमें प्लास्टिक की 06 टंकिया रखी हुई पाई गई। सभी टंकियॉ एक पाईप मय वाल्व के जरिये जुडी हुई सभी टंकियों में करीबन 50–55 लीटर के लगभग पैट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ मौके पर मिला । मौके पर ट्रेलर नंबर GJ-39 T-5215 का वाल्व खोला हुआ, व बिना

जिला कलक्टर
अजमेर

नंबरी ट्रेलर टेंकर में रखी टंकियो से तेल भरने हेतु मोटर मय मीटर, पाईप लगे हुये ट्रेलर टेंकर नम्बर RJ-37-GA-0977 में भरी टंकियों का पाईप कनेक्शन सहित तेल भरने का मीटर मय पाईप लगा हुआ पाया गया । इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य MS and HSD (regulation OF Supplu distribution & Prevention OF Malpractices) Order 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा ट्रक ट्रेलर नम्बर GJ-39 T-5215 (2) एक ट्रेलर कंटेनर नंबर RJ-37-GA-0977 एक बिना नम्बरी ट्रेलर कन्टेनर चेचिस नम्बर MB1UPKHD6KPFJ6367 दस प्लास्टिक ड्रम, 35600 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ मय एक मोटर मय मीटर, एक इलेक्ट्रिक मीटर मय पाईप, पांच लीटर क्षमता के दो अमानक माप, दस लीटर क्षमता का एक अमानक माप को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। प्रार्थी किसान केरियर जरिये प्रोपराईटर सतीश कुमार शर्मा के मुख्तयार आम दीपचंद जाट पुत्र श्री श्रवण लाल आयु करीब 39 साल जाति जाट निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर राजस्थान की ओर जप्त ट्रक ट्रेलर नम्बर GJ-39 T-5215, मय माल एवं प्रार्थी श्री दीपचंद जाट पुत्र श्री श्रवण लाल, जाति जाट निवासी मगरा जिला अजमेर राजस्थान एक ट्रेलर कंटेनर नंबर RJ-37-GA-0977 एवं प्रार्थी दीपचंद पुत्र श्री श्रवण लाल आयु करीब 39 साल जाति जाट निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर राजस्थान की ओर से ट्रेलर कन्टेनर चेचिस नम्बर MB1UPKHD6KPFJ6367 जिसका वाहन संख्या RJ01GC 3060 ओर से मय माल को सुपुर्दगीनामे पर छुडाने हेतु सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिन्हे दर्ज किया जाकर जिला रसद अधिकारी अजमेर से टिप्पणी तलब की गई। सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्रो को मूल 6 ए प्रकरण के साथ सुनवाई हेतु पेश होने के आदेश दिये गये। सुनवाई चाहने पर उभयपक्ष को मूल 6 ए प्रकरण, मय सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्रों के साथ सुना गया।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 24.1.2026 को थानाधिकारी पुलिस थाना गांधीनगर, जिला अजमेर द्वारा अवैध पैट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण के सबंध में सूचना मिलने पर श्रीमती मोनिका जाखड, जिला रसद अधिकारी अजमेर बहमराह प्रवर्तन अधिकारी मीना कुमारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक अतुल कुमार बडाया, प्रवर्तन निरीक्षक मुकेश कुमार बुगालिया पार्किग टाईप बाडा परिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 08, वर्तमान नंबर 48, होटल परासिया इन के पीछे, लक्ष्मीनगर, तहसील किशनगढ जिला अजमेर पर पहुँचे। मौके पर थानाधिकारी पुलिस थाना, गांधीनगर जिला अजमेर श्री संजय शर्मा एस.एच.ओ उपस्थित मिले जिन्होने जरिये तहरीर प्रस्तुत कर बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 08 वर्तमान नंबर 48 के पास स्थित होटल परासिया इन किशनगढ के पीछे, लक्ष्मीनगर वन परासिया थाना गांधीनगर नाम की कॉलोनी में एक पार्किग टाईप बाडा जो श्री दीपचंद पुत्र श्रवण राम जाति जाट निवासी मंगरा के पार्किग बाडा में अवैध पैट्रोलियम पदार्थ वाहन संख्या (1) ट्रक ट्रेलर नम्बर GJ-39 T-5215 (2) एक ट्रेलर कंटेनर नंबर RJ-37-GA-0977 चेचिस नं0 MAT44720993J1007 जिसमें चार प्लास्टिक की टंकिया रखी हुई (तीन टंकी बडी साईज व एक टंकी छोटी साईज जिसमें एक टंकी में करीब पच्चीस सौ से तीन हजार लीटर पैट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया) (3) एक बिना नम्बरी ट्रेलर कन्टेनर चेचिस नम्बर MB1UPKHD6KPFJ6367 व इंजन नंबर KFPZ117406 जिसमें प्लास्टिक की 06 टंकिया रखी हुई पाई गई। सभी टंकियॉ एक पाईप मय वाल्व के जरिये जुडी हुई सभी टंकियों में करीबन 50—55 लीटर के लगभग पैट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ मौके पर मिला । मौके पर ट्रेलर नंबर GJ-39 T-5215 का वाल्व खोला हुआ, व बिना नंबरी ट्रेलर टेंकर में रखी टंकियो से तेल भरने

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

हेतु मोटर मय मीटर, पाईप लगे हुये ट्रेलर टेंकर नम्बर RJ-37-GA-0977 में भरी टंकियों का पाईप कनेक्शन सहित तेल भरने का मीटर मय पाईप लगा हुआ पाया गया । मौके पर GJ-39 T-5215 का चालक श्री लखमीर सिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति रामदासिये (सीख) निवासी बेरपुरा थाना सहजादपुर जिला अंबाला हरियाणा व श्री मोहित पुत्र श्री मुकेश जाति तेली निवासी परानेडा, थाना केकडी सदर तहसील केकडी जिला अजमेर व श्री दीपक पुत्र श्री सांवरलाल जाति जाट निवासी सापली थाना केकडी सदर जिला अजमेर, तहसील सरवाड उपस्थित मिले। मौके पर थानाधिकारी द्वारा बताये गये कि ट्रक टेंकर/ट्रेलर कंटेनर एक व्यक्ति मौजूद पाये गये है, श्री लखमीर सिंह पुत्र श्री हरीसिंह निवासी बेरपुरा जिला अम्बाला, हरियाणा ने पूछताछ करने पर बताया कि वह खुशखेडा भिवाडी, अलवर से ट्रक टेंकर संख्या GJ-39 T-5215 में 32500 लीटर बायोडीजल भरवाकर मौके पर लाये है, किन्तु मौके पर प्राप्तकर्ता मालिक अथवा जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं है। मौके पर तीनो गाडियों में मौजूद पैट्रोलियम पदार्थ को देखे जाने पर तीनो में रंग अलग-अलग पाया गया है तथा ड्राइवर सबंधी कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये है मौके पर उपस्थित तीनों व्यक्ति श्री लखमीर सिंह, श्री मोहित साहू एवं श्री दीपक चौधरी के बयान पृथक से दर्ज किये गये । मौके पर किशनगढ पैट्रोलियम किशनगढ के श्री राजेश कुमार को बुलवाकर सैम्पलिंग हेतु वुडन वॉक्स मंगवाकर तीनों टैकर/ट्रक से नियमानुसार 3-3 सैम्पल लिये गये है। इस प्रकार मौके पर पाये गये ट्रक ट्रेलर नम्बर GJ-39 T-5215 (2) एक ट्रेलर कंटेनर नंबर RJ-37-GA-0977 एक बिना नम्बरी ट्रेलर कन्टेनर चेचिस नम्बर MB1UPKHD6KPFJ6367 दस प्लास्टिक ड्रम, 35600 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ मय एक मोटर मय मीटर, एक इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप, पांच लीटर क्षमता के दो अमानक माप, दस लीटर क्षमता का एक अमानक माप के सबंध में मौके पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा कोई संतोष जनक जवाब, बायोडीजल के पंजीकरण/भण्डारण/उपयोग के सबंध में दस्तावेज, अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किया एवं मौके पर इसका कोई मालिक/संचालक भी उपस्थित नहीं हुआ। मौके पर बायोडीजल/पैट्रोलियम पदार्थ की वैधता का पर्याप्त जवाब, दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उपरोक्त वर्णित पैट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामान, 03 ट्रक टैकर/ट्रेलर को मौके पर जब्त किया गया एवं श्री रामसिंह पुत्र स्व0 श्री प्रभुराम हाल द्वितीय अधिकारी पुलिस थाना, गांधीनगर अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया, जिसका सुपुर्दगीनामा पृथक से लिखा जाकर संलग्न फर्द किया गया । इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य MS and HSD (regulation OF Supplu distribution & Prevention OF Malpractices) Order 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा ट्रक ट्रेलर नम्बर GJ-39 T-5215 (2) एक ट्रेलर कंटेनर नंबर RJ-37-GA-0977 एक बिना नम्बरी ट्रेलर कन्टेनर चेचिस नम्बर MB1UPKHD6KPFJ6367 दस प्लास्टिक ड्रम, 35600 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ मय एक मोटर मय मीटर, एक इलेक्ट्रिक मीटर मय पाईप, पांच लीटर क्षमता के दो अमानक माप, दस लीटर क्षमता का एक अमानक माप को राजसात करने के आदेश फरमावें।

जवाब में अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थना पत्र तथ्यों को सिरे से नकारते हुए मुख्यतः निवेदन किया कि अप्रार्थीगणो के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी ने झूंठा परिवाद पेश किया है अप्रार्थीगणों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के किसी भी प्रावधान का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया है। जिला रसद अधिकारी ने पार्किग में खडी गाडियों को जब्त कर झूंठा परिवाद न्यायालय के समक्ष पेश किया है। अप्रार्थीगण को मौके पर किसी भी प्रकार का कोई पैट्रोलियम पदार्थ को बेचते हुए नही पकडा गया, मात्र शंका के आधार पर उक्त परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जब्तशुदा माल का मूल बिल अप्रार्थीगण के पास है जिसमें इको पैट्रोलियम बायो डीजल बी 100 एवं इको डीजल लिखा हुआ है तथा उक्त

जिला कलक्टर
अजमेर

माल पेट्रोलियम उत्पादो की श्रेणी में नहीं आता है। अप्रार्थीगण के वाहन में भरे पैट्रोलियम पदार्थ जी.एस.टी पेड था जो कि खरीदशुदा माल था इसके उपरांत भी अप्रार्थीगण के खडे वाहन को मात्र आंशका के आधार पर झूठा लिप्त किया गया है । केन्द्रीय सरकार का पैट्रोलियम अधिनियम 1934 केन्द्रीय कानून है जो कि पेट्रोलियम पदार्थ आयात भण्डारण, उत्पादन ओर सुरक्षा को नियत्रित करता है । उक्त अधिनियम में पेट्रोलियम उत्पादो को प्लेसमेंट के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जो कि ए बी सी में वर्गीकृत है । बायो डीजल उक्त केन्द्रीय सरकार के वर्गीकृत उत्पादो की किसी भी श्रेणी में नही आता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित आवश्यक वस्तु अधिनियम में पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल, केरोसीन, एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम घोषित किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ आवश्यक वस्तु अधिनियम में आते है। बॉयो डीजल बी 100 केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना की अनुसूची में नही है इसलिए 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही अप्रार्थीगण के विरूद्व नही बनती है। बी 100 बायो डीजल को पेट्रोलियम एक्ट 1934 के अनतर्गत पैट्रोलियम नही माना गया है क्यो कि बायो डीजल वनस्पती तेल/पशु वसा रसायनिक प्रक्रिया द्वारा बनता है यह मिनरल ऑयल खनिज तेल नही है इसलिए शुद्व बी 100 बायो डीजल आम तौर पर इस अधिनियम की परिभाषा में नही आता है तथा वर्तमान में शुद्व बी 100 बायो डीजल को आवश्यक वस्तु घोषित नहीं किया गया है। अप्रार्थी की स्वयं की ट्रासंपोर्ट कम्पनी हे जिसमें अप्रार्थी संख्या 4 के स्वयं के ट्रको में ही उक्त तेल का स्वयं के ट्रको में ही बॉयो डीजल का उपयोग किया जाता है इसलिए ट्रेडिग का काम भी अप्रार्थीगण नही करते है। केन्द्र सरकार की अधिसूचना 1535 दिनांक 01.12.2014 में स्पष्ट है कि बॉयो डीजल पर पेट्रोलियम नियम 2002 के प्रावधान लागू नही होते इसलिए केन्द्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार भी उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू नहीं होता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व दर्ज किये गये परिवाद को निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करे ।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 24.1.2026 को थानाधिकारी पुलिस थाना गांधीनगर, जिला अजमेर द्वारा अवैध पैट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण के सबंध में सूचना मिलने पर श्रीमती मोनिका जाखड, जिला रसद अधिकारी अजमेर बहमराह प्रवर्तन अधिकारी मीना कुमारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक अतुल कुमार बडाया, प्रवर्तन निरीक्षक मुकेश कुमार बुगालिया पार्किग टाईप बाडा परिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 08, वर्तमान नंबर 48, होटल परासिया इन के पीछे, लक्ष्मीनगर, तहसील किशनगढ जिला अजमेर पर पहुॅचे । मौके पर थानाधिकारी पुलिस थाना, गांधीनगर जिला अजमेर श्री संजय शर्मा एस.एच.ओ उपस्थित मिले जिन्होने जरिये तहरीर प्रस्तुत कर बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 08 वर्तमान नंबर 48 के पास स्थित होटल परासिया इन किशनगढ के पीछे, लक्ष्मीनगर वन परासिया थाना गांधीनगर नाम की कॉलोनी में एक पार्किग टाईप बाडा जो श्री दीपचंद पुत्र श्रवण राम जाति जाट निवासी मंगरा के पार्किग बाडा में अवैध पैट्रोलियम पदार्थ वाहन संख्या (1) ट्रक ट्रेलर नम्बर GJ-39 T-5215 (2) एक ट्रेलर कंटेनर नंबर RJ-37-GA-0977 चेचिस नं0 MAT44720993J1007 जिसमें चार प्लास्टिक की टंकिया रखी हुई (तीन टंकी बडी साईज व एक टंकी छोटी साईज जिसमें एक टंकी में करीब पच्चीस सौ से तीन हजार लीटर पैट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया) (3) एक बिना नम्बरी ट्रेलर कन्टेनर चेचिस नम्बर MB1UPKHD6KPFJ6367 व इंजन नंबर KFPZ117406 जिसमें प्लास्टिक की 06 टंकिया रखी हुई पाई गई। सभी टंकियॉ एक पाईप मय वाल्व के जरिये जुडी हुई सभी टंकियों में करीबन 50–55 लीटर के लगभग पैट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ मौके पर मिला । मौके पर ट्रेलर नंबर GJ-39 T-5215 का वाल्व खोला हुआ, व बिना नंबरी ट्रेलर टेंकर में रखी टंकियो से तेल भरने हेतु मोटर मय मीटर, पाईप लगे हुये ट्रेलर टेंकर नम्बर RJ-37-GA-0977 में भरी

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

टंकियों का पाईप कनेक्शन सहित तेल भरने का मीटर मय पाईप लगा हुआ पाया गया । मौके पर GJ-39 T-5215 का चालक श्री लखमीर सिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति रामदासिये (सीख) निवासी बेरपुरा थाना सहजादपुर जिला अंबाला हरियाणा व श्री मोहित पुत्र श्री मुकेश जाति तेली निवासी परानेडा, थाना केकडी सदर तहसील केकडी जिला अजमेर व श्री दीपक पुत्र श्री सांवरलाल जाति जाट निवासी सापली थाना केकडी सदर जिला अजमेर, तहसील सरवाड उपस्थित मिले। मौके पर थानाधिकारी द्वारा बताये गये कि ट्रक टेंकर/ट्रेलर कंटेनर एक व्यक्ति मौजूद पाये गये है, श्री लखमीर सिंह पुत्र श्री हरीसिंह निवासी बेरपुरा जिला अम्बाला, हरियाणा ने पूछताछ करने पर बताया कि वह खुशखेडा भिवाडी, अलवर से ट्रक टेंकर संख्या GJ-39 T-5215 में 32500 लीटर बायोडीजल भरवाकर मौके पर लाये है, किन्तु मौके पर प्राप्तकर्ता मालिक अथवा जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं है। मौके पर तीनो गाडियों में मौजूद पैट्रोलियम पदार्थ को देखे जाने पर तीनो में रंग अलग–अलग पाया गया है तथा ड्राइवर सबंधी कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये है मौके पर उपस्थित तीनों व्यक्ति श्री लखमीर सिंह, श्री मोहित साहू एवं श्री दीपक चौधरी के बयान पृथक से दर्ज किये गये । मौके पर किशनगढ पैट्रोलियम किशनगढ के श्री राजेश कुमार को बुलवाकर सैम्पलिंग हेतु वुडन वॉक्स मंगवाकर तीनों टैकर/ट्रक से नियमानुसार 3–3 सैम्पल लिये गये है। इस प्रकार मौके पर पाये गये ट्रक ट्रेलर नम्बर GJ-39 T-5215 (2) एक ट्रेलर कंटेनर नंबर RJ-37-GA-0977 एक बिना नम्बरी ट्रेलर कन्टेनर चेचिस नम्बर MB1UPKHD6KPFJ6367 दस प्लास्टिक ड्रम, 35600 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ मय एक मोटर मय मीटर, एक इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप, पांच लीटर क्षमता के दो अमानक माप, दस लीटर क्षमता का एक अमानक माप के सबंध में मौके पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा कोई संतोष जनक जवाब, बायोडीजल के पंजीकरण/भण्डारण/उपयोग के सबंध में दस्तावेज, अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किया एवं मौके पर इसका कोई मालिक/संचालक भी उपस्थित नहीं हुआ। मौके पर बायोडीजल/पैट्रोलियम पदार्थ की वैधता का पर्याप्त जवाब, दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उपरोक्त वर्णित पैट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामान, 03 ट्रक टैकर/ट्रेलर को मौके पर जब्त किया गया एवं श्री रामसिंह पुत्र स्व0 श्री प्रभुराम हाल द्वितीय अधिकारी पुलिस थाना, गांधीनगर अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया, इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य MS and HSD (regulation OF Supplu distribution & Prevention OF Malpractices) Order 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा दस प्लास्टिक ड्रम, 35600 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ मय एक मोटर मय मीटर, एक इलेक्ट्रिक मीटर मय पाईप, पांच लीटर क्षमता के दो अमानक माप, दस लीटर क्षमता का एक अमानक माप को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है। चूंकि जब्तशुदा ट्रक ट्रेलर नम्बर GJ-39 T-5215 (2) एक ट्रेलर कंटेनर नम्बर RJ-37-GA-0977 एक बिना नम्बरी ट्रेलर कन्टेनर चेचिस नम्बर MB1UPKHD6KPFJ6367 जिसका वाहन संख्या RJ01GC 3060 का उपयोग अवैध पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन में किया जाना पाया गया है। चूंकि उक्त वाहनों का उपयोग उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य के परिवहन हेतु किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जबकि अप्रार्थीगण ने इन वाहनो को सुपुर्दगीनामें पर दिए जाने का निवेदन किया है। जब्तशुदा वाहन को राजसात करने के आदेश से पूर्व आवश्यक वस्तु अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के मध्यनजर जब्तशुदा वाहन द्वारा उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य के परिवहन करने पर ट्रक ट्रेलर नम्बर GJ-39 T-5215 पर 1,00,000 (अक्षरे एक लाख रूपये मात्र) एवं एक ट्रेलर कंटेनर नंबर RJ-37-GA-0977 पर 1,00,000/–(अक्षरे एक लाख रूपये मात्र) एवं ट्रेलर कन्टेनर चेचिस नम्बर MB1UPKHD6KPFJ6367 जिसका वाहन संख्या RJ01GC 3060 पर 1,00,000/– (अक्षरे एक

जिला कलक्टर
अजमेर

लाख रूपये मात्र) की शास्ति आरोपित की जाती है। जब्तशुदा सामग्री दस प्लास्टिक ड्रम, 35600 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ मय एक मोटर मय मीटर, एक इलेक्ट्रिक मीटर मय पाईप, पांच लीटर क्षमता के दो अमानक माप, दस लीटर क्षमता का एक अमानक माप का जिला रसद अधिकारी अजमेर सम्बन्धित ऑयल कम्पनी/रसद विभाग के निर्देशानुसार नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें और निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावें। आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर जब्तशुदा वाहन जब्तशुदा ट्रक ट्रेलर नम्बर GJ-39 T-5215 (2) एक ट्रेलर कंटेनर नंबर RJ-37-GA-0977 ट्रेलर कन्टेनर चेचिस नम्बर MB1UPKHD6KPFJ6367 जिसका वाहन संख्या RJ01GC 3060 वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद मालिकाना हक, दस्तावेज जांच के सम्बन्धित को सुपुर्द करें। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण, मूल 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का अन्तिम निस्तारण उक्त आदेशानुसार किया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी किसान केरियर जरिये प्रोपराईटर सतीश कुमार शर्मा के मुख्तयार आम दीपचंद जाट पुत्र श्री श्रवण लाल आयु करीब 39 साल जाति जाट निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर राजस्थान द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 16/2026, वास्ते जब्तशुदा ट्रक टेंकर संख्या ट्रक ट्रेलर नम्बर GJ-39 T-5215 आंशिक स्वीकार एवं प्राथी प्रार्थी दीपचंद पुत्र श्री श्रवण लाल आयु करीब 39 साल जाति जाट निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर राजस्थान द्वारा प्रस्तुत सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 17/2026 वास्ते जब्तशुदा ट्रेलर कन्टेनर चेचिस नम्बर MB1UPKHD6KPFJ6367 जिसका वाहन संख्या RJ01GC 3060 आंशिक स्वीकार, व प्रार्थी दीपचंद पुत्र श्री श्रवण लाल आयु करीब 39 साल जाति जाट निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर राजस्थान द्वारा प्रस्तुत सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र 20/2026 वास्ते जब्तशुदा ट्रेलर कंटेनर नंबर RJ-37-GA-0977 को सुपुर्दगी पर छोड़े जाने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा पारित इस अन्तिम आदेश के परिपेक्ष्य में उक्त तीनो प्रार्थना पत्रों का कोई औचित्य नहीं रहने, सारहीन हो जाने के कारण इसी स्तर पर इसी कदर से निस्तारित किये जाते है। अतः तीनों सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
**जिला कलक्टर, अजमेर।**

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर